कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।

Email Id: dmusn.1995@gmail.com Ph. No. 05944-242344 Fax no. 05944-250408

पत्र संख्या– 11015 /सात–56/2018 दिनांक 06 नवम्बर, 2018

लीड बैंक मैनेजर,
ऊधमसिंहनगर।

विषयः– औद्योगिक प्रयोजन की भूमि को उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अर्न्तगत प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन की अधिसूचना संख्या 350/XXXVI (3)/2018/79(1)/2018 दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के द्वारा उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपरान्त धारा–143क का अंतःस्थापन की गयी है, जो निम्नवत् हैः–

"143क. धारा 143 में किसी बात के होते हुये भी किसी भूमिधर द्वारा अपनी भूमि का प्रयोग अधैद्योगिक प्रयोजन से करने के आशय से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/सम्प्रति प्राप्त होते ही वह भूमि अथवा धारा 154 के अर्न्तगत औद्योगिक प्रयोजनों हेतु कय की गयी भूमि धारा 143 के अर्न्तगत स्वयमेव औद्योगिक आशय से प्रख्यापित हुई समझी जायेगी;

परन्तु यह की राज्य सरकार अथवा जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा भूमि कय करने की दी गयी अनुमति की शर्तो का पालन न करने अथवा किन्ही शर्तो का उल्लंधन करने पर अथवा जिस प्रयोजन हेतु भूमि कय की गयी है उससे अथवा प्रयोग करने पर अन्तरण शून्य होगा एवं धारा 167 के परिणाम उत्पन्न हो जायेगें।

***स्पष्टीकरणः–** इस धारा में उल्लिखित "औद्योगिक प्रयोजन शब्द के अर्न्तगत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक प्रयोजन भी सम्मिलित है।"*

अधिनियम में उपरोक्त धारा के सम्मिलित किये जाने के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट है कि कृषि योग्य भूमि को औद्योगिक प्रयोजन से प्रयोग करने की सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने पर सम्बन्धित भूमि को उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अर्न्तगत अकृषक घोषित कराये जाने की आवश्यकता नही होगी, वरन् स्वतः ही प्रख्यापित समझी जायेगी।

अतः इस सम्बन्ध में आप समस्त बैंको को उक्त विधिक स्थिति से अवगत कराते हुये यह सुनिश्चित करवायें कि उक्त प्रकार की भूमि में औद्योगिक ऋण करवाये जाने में अनावश्यक रूप से बैंको के द्वारा बाधायें उत्पन्न न की जाये।

(डा0 नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

प्रतिलिपि–1– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– अध्यक्ष, कुमॉयू गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक आस्थान, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।

3– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को व्यापक प्रचार –प्रसार हेतु प्रेषित।

4– क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, रूद्रपुर को, समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराने हेतु।

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

Scanned with CamScanner